पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

Letter No. / पत्रांकः 7324

Date / दिनांकः 27-08-2018

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री प्रभु दयाल एवं अन्य,
मोहल्ला-जगनपुरा,
थाना-रामकृष्णा नगर, पटना, बिहार।

विषयः- **प्लान केस सं०-P/Jaganpura/PRN/B+G+6/79/2015 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Jaganpura/PRN/B+G+6/79/2015 दिनांक-05.01.2016 के संदर्भ में श्री प्रभु दयाल एवं अन्य, मोहल्ला-जगनपुरा, थाना-रामकृष्णा नगर, पटना के लिए भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित ...... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के .... सर्वे प्लॉट सं0-652 (अंश), खाता संख्या-02, तौजी नं0-131, थाना संख्या-26, थाना-रामकृष्णानगर, मौजा-जगनपुरा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 3249.87 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग। पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 09.20 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 112.473 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

Maurya Lok Complex, Budhha Marg, Patna, Bihar 800001. T +91-612-2223791, F +91-612-2200691, E patnamc-bih@gov.in, W pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna twitter.com/cityofpatna instagram.com/cityofpatna youtube.com/cityofpatna 947 222 3909

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वत: रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) भवन उपविधि 2014 के कंडिका 32 के अनुसार 5 प्रतिशत ग्रीन एरिया का प्रावधान करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

24/8/18

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Maurya Lok Complex, Budhha Marg, Patna, Bihar 800001. T +91-612-2223791, F +91-612-2200691, E patnamc-bih@gov.in, W pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna twitter.com/cityofpatna instagram.com/cityofpatna youtube.com/cityofpatna 947 222 3909